



संदर्भ: :एएआई/पीबी/वाणिज्यिक/बेबई खेर/2025-26/273

दिनांक: 03.09.2025

Speed- Post

सेवा मे/ To,
मेसर्स हिमालय वेलनेस कंपनी/ M/s Himalaya Wellness Company
तुमकुर रोड, मकाली/ Tumkur Road, Makali
बैंगलोर/Bangalore,
पिन-562162/ Pin- 562162

विषय: पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर शिशु देखभाल कक्ष सुविधा का प्रबंधन और संचालन के लिए लाइसेंस का पुरस्कार
Sub: Award of License for Managing and Operating Baby Care Room Facility at VSI Airport Sri Vijaya Puram.

प्रिय महोदय/Dear Sir,

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सक्षम प्राधिकारी ने ई-बोली संख्या 2024_AAI_215271_1, दिनांक 22.11.2024 के जवाब में "पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा पर शिशु देखभाल कक्ष सुविधा के लिए लाइसेंस" के लिए आपकी बोली स्वीकार कर ली है।

We are pleased to inform you that Competent Authority has accepted your bid for "LICENSE FOR MANAGING AND OPERATING BABY CARE FACILITY AT SRI VIJAYA PURAM AIRPORT," in response to E-bid No. 2024_AAI_215271_1, dated 22.11.2024.

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मेसर्स शिशु देखभाल कक्ष सुविधा को 03 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है।/ The licence is hereby accorded to M/s Himalaya Wellness Company for a period of 03 Years as per the following terms & conditions:

- लाइसेंसधारी को पुरस्कार पत्र जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर स्वीकृति पत्र के साथ पुरस्कार पत्र की डुप्लिकेट प्रति पर हस्ताक्षर करना होगा।
The licensee shall sign the duplicate copy of award letter along with acceptance letter within 07 days from the date of issuance of award letter.
- बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन है, बोलीदाता आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।
Business Incubation Period is 15 days from the date of issuance of award letter and bidder will be under obligation to complete all the formalities /conditions of award letter.
- 60 दिनों की गर्भाधान अवधि लागू है, जिसकी गणना समाप्ति तिथि से की जायेगी बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि यानी पुरस्कार पत्र जारी होने के 16 वें दिन से।
Gestation period of 60 days is applicable, which will be reckoned from the date of expiry of Business Incubation Period i.e. from the 16th day of issue of award letter.
- लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वाणिज्यिक बिलिंग गर्भावस्था अवधि की समाप्ति या काउंटर के चालू होने, जो भी पहले हो, से शुरू होगी।
The license will be valid for a period of 3 Years. Commercial billing will start from expiry of gestation period or operationalize of counter, whichever is earlier.

5. लाइसेंस शुल्क एवं क्षेत्रफल, स्थान किराया आदि का विवरण इस प्रकार होगा:

The details of the license fee & area, space rent, etc. is as follows:

Name of the License and Area	Monthly License Fee	10 % Utility Charges on space rent	GST @ 18%	Monthly Payable Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
License for Retail Outlet for Managing and Operating Baby Care Room Facility Airport. (30 sqmtr. in SHA, UGF & 24.5 sqmtr. in LGF)	Rs. 68,500/- Per Month.	Rs. 7,303/- [10% on space rent of Rs.73,030/- for Financial Year 2025-26(i.e. Rs. 1340/- x 54.5sqm.)]	Rs. 13,645/- (On applicable Monthly License Fee + Utility Charges)	Rs. 89,448/- (Rupees Eighty-Nine Thousand Four Hundred Forty-Eight Only).

- मौजूदा दरों पर जीएसटी और अन्य सभी लागू कर/लेवी/शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा देय हैं।
GST and all other applicable taxes/ levies / fees at the prevailing rates are payable by the licensee in addition to the license fee.
- लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त स्थान किराये पर 10% की दर से उपयोगिता शुल्क देय होगा। स्थान किराये के 7.5% की दर से या एएआई, सीएचक्यू द्वारा निर्धारित दरों पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हर साल 1 अप्रैल को लागू होगी या एएआई द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाएगी।
Utility charge @ 10% on space rent shall be payable in addition to license fee by the licensee. Compound annual escalation @ 7.5% on space rent or at the rates prescribed by AAI, CHQ will be applicable on 1st April every year or revised by AAI from time to time.
- लाइसेंसधारी को एएआई दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी नाम की ब्रांडिंग के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी बोर्ड स्थापित करना होगा।
The Licensee shall install bilingual board both Hindi and English for branding licensee name as per AAI guidelines.
- लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली की खपत और पानी के शुल्क का भुगतान करेगा।
The licensee shall pay the charges for the consumption of the electricity and water charges as per actual usage.
- लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख या उससे पहले अग्रिम रूप से किया जाता है।
The license fee is payable by the licensee in advance on or before 15th day of each month.
- प्राधिकरण चालू माह के सभी बिल (एमएमजी/एमएजी और वार्षिक भूमि पट्टा बिलों को छोड़कर किसी भी अन्य बिल सहित) बिजली, पानी आदि जैसे व्यय बिलों की सत्यता और प्रतिपूर्ति को छोड़कर, महीने के पहले दिन अग्रिम रूप से जारी करेगा। पूरे महीने के लिए बिजली, पानी शुल्क आदि जैसे व्यय की प्रतिपूर्ति अगले महीने की 5 तारीख को की जाएगी। 15 दिनों की क्रेडिट अवधि (चालान की तारीख प्लस 15 दिन) प्रदान की जाएगी, जो प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने पर कटौती के अधीन है। जिन मामलों में रियायतग्राही/एजेंसियों ने देय तिथि के बाद लेकिन 90 दिनों (तारीख) के भीतर चालान का निपटान किया है, प्राधिकरण नियत तारीख

(यानी चालान की तारीख प्लस 15 दिन) से प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाएगा। चालान का प्लस 90 दिन) और रियायतग्राही/एजेंसियों के मामले में प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तिथि तक देय तिथि से 18% प्रति वर्ष की दर से 90 दिनों के बाद चालान का निपटान किया जाता है। एजेंसी द्वारा किए गए आंशिक भुगतान के मामले में, चालान की शेष राशि पर लागू ब्याज दर के समान शुल्क लिया जाएगा। प्राधिकरण के अन्य अधिकारों और उपायों के लिए। एल/एफ के भुगतान के लिए चालान/बिल की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है।

The Authority shall raise all bills (including MMG/MAG and any other bills except annual land lease bills) for the current month on 1st day of month in advance except true-up and reimbursement of expenditure bills like electricity, water etc. The Invoices for reimbursement of expenditure like electricity, water charges etc. for the completed month shall be raised on 5th of succeeding month. A credit period of 15 days (date of invoice plus 15 days) shall be provided, which is subject to reduction as and when decided by Authority. Authority shall levy penal interest @12% per annum from the due date (i.e. date of invoice plus 15days) till the actual date of payment received in authority's account in the cases concessionaire/ agencies settled the invoice after due date but within 90 days (date of invoice plus 90 days) and @18% per annum from the due date till the actual date of payment received in Authority's account in the case of concessionaire/ agencies settled the invoices after 90 days. In case of part payment made by agency, same rate of interest on the balance amount of invoices as applicable shall be charged. to the Authority's other rights and remedies. For payment of L/F, waiting for invoice/bills is not mandatory.

12. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अग्रिम लाइसेंस शुल्क अर्थात् रु. 89,448/- (रुपए अस्सी-नौ हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) लागू जीएसटी सहित मौजूदा दरों पर का भुगतान करना होगा। Payment of advance license fee i.e **Rs. 89,448/- (Rupees Eighty-Nine Thousand Four Hundred Forty-Eight Only)** including applicable GST at the prevailing rates is payable by the licensee within 30 days from the date of issue of this award letter.

13. लाइसेंसधारी से चार महीने की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा जमा राशि यानी रु. 3,57,792/- (मात्र तीन लाख सत्तावन हजार सात सौ निन्यानवे रुपये) [अर्थात् रु.89,448/- x 4 महीने] आवंटन पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करने का अनुरोध किया जाता है। राशि केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में पोर्ट ब्लेयर में देय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के आरटीजीएस/एनईएफटी/बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी। सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक गारंटी अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद 12 महीने तक वैध रहेगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है। बैंक गारंटी एसएफएमएस सिस्टम सत्यापन योग्य होगी।

The licensee is requested to deposit an amount equal to Four months license fees, i.e. **Rs. 3,57,792 /- (Rupees Three Lakh Fifty-Seven Thousand Seven Hundred Ninety-Two Only) [i.e. Rs. 89,448/- x 4 months]** within 30 days from the date of award letter. The security deposit will be accepted only in the form of RTGS/NEFT/Bank Guarantee of a nationalized /scheduled bank in favour of Airports Authority of India, payable at Port Blair. Bank Guarantee from Cooperative Bank or Gramin Bank will not be accepted. The Bank Guarantee shall be valid during the currency of contract and 12 months thereafter. No interest is payable on Security Deposit. Bank Guarantee shall be SFMS system verifiable as per attached format.

14. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिजली/पानी आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा राशि 53,669/- (रुपये तिरपन हजार छह सौ उनहत्तर मात्र) के रूप में देय है।
The Security Deposit for Electricity is **Rs. 53,669/-** (Rupees Fifty-Three Thousand Six Hundred Sixty-Nine Only) as Security Deposit required for Electricity / Water etc within 30 days from the date of award letter.
15. लाइसेंसधारी को आवंटित काउंटर का उपयोग विशेष रूप से उन सेवाओं के उद्देश्य के लिए करने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
The licensee shall be allowed to use the allotted counter exclusively for the purpose of services for which it is allotted and not for any other purpose under any circumstances.
16. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि वह इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में साइट हैंडओवर /टेकओवर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एएआई और पार्टी द्वारा संयुक्त माप किया जाएगा। संयुक्त माप समझौते का एक हिस्सा बनेगा।
The licensee is requested to submit site handing over/taking over report at this office within 30 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would be carried out by AAI and the party within 30 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would form a part of the agreement.
17. इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी से रुपये 100/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (अंडमान एवं निकोबार (यू.टी.)) पर लाइसेंस समझौते के निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाता है। स्टाम्प पेपर की लागत जो लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।
The licensee is requested for execution of License Agreement on Rs. 100/- non-judicial stamp paper of Andaman & Nicobar (U.T.) only within 30 days from the date of issue of this award letter. The cost of stamp paper which will be borne by the licensee.
18. लाइसेंसधारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए कमरे का एक ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है।
The licensee is required to submit a lay-out plan of the room for approval of the Competent Authority.
19. लाइसेंसधारी समय-समय पर लागू श्रम कानूनों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
The licensee shall abide by all the rules and regulation of Labour Laws applicable from time to time.
20. लाइसेंसधारी द्वारा लागू शुल्क के भुगतान पर बीसीएएस के दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डा प्रवेश पास जारी किए जाएंगे।
Airport Entry Passes will be issued as per guidelines of BCAS on payment of applicable charges by the licensee.
21. लाइसेंसधारी अपने खर्च पर फायर अलार्म सिस्टम सहित सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंस्टॉलेशन और ऐसे अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का रखरखाव करेगा जो उक्त परिसर में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या इसके बाद उक्त परिसर में उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।
The Licensee shall maintain at his own cost all the electric fittings, installations and such other electric equipment's including Fire Alarm System as may be provided by the Authority in the said premises or as may hereafter be provided by the said Authority in the said premises.
22. कमरे का निर्माण उपयुक्त गैर-दहनशील सामग्री से किया जाना चाहिए और प्रत्येक दुकान में 6 किलोग्राम क्षमता का न्यूनतम एक एबीसी पाउडर बुझाने वाला यंत्र रखा जाना चाहिए।

The Room should be constructed with suitable non-combustible materials and minimum one ABC powder extinguisher of 6 kgs capacity should be kept in each shop.

23. लाइसेंसधारी प्राधिकरण से लिखित पूर्व अनुमति के बिना उक्त परिसर में किसी अन्य प्रकार का विज्ञापन या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।
The Licensee shall not erect or display any other type of advertisement or signboards upon the said premises without prior permission in writing from the Authority.
24. लाइसेंसधारी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह लाइसेंस शुरू होने से पहले उक्त लाइसेंस के लिए नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम सूचित करे।
The licensee is also requested to intimate the names of the persons to be employed for the said license before commencement of the license.
25. यह आवंटन पत्र लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा जो दोनों पक्षों, यानी लाइसेंसधारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बाध्य करेगा।
This award letter will be an integral part of license agreement binding both the parties, i.e. the licensee and Airports Authority of India.
26. लाइसेंसधारी को परिचालन शुरू होने से पहले आरडी बीसीएस, कोलकाता से सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम प्राप्त करना होगा, सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम प्राप्त करने में किसी भी देरी के लिए एएआई जिम्मेदार नहीं होगा।
The licensee shall obtain security clearance and security program before commencement of operation from RD BCAS, Kolkata, any delay for obtaining security clearance and security program AAI will not responsible.
27. अन्य सभी नियम एवं शर्तें एनआईटी के अनुसार होंगी।
All other terms & conditions will be as per NIT.

यह पुरस्कार पत्र समझौते के साथ-साथ एनआईटी का भी हिस्सा होगा।

This award letter shall be a part & parcel of agreement as well as NIT.

Thanking you,

आपका विश्वासी/Yours faithfully,

एस घोष /S. Ghosh

एजीएम (वाणिज्यिक)/AGM (Commercial)
कृते विमानपत्तन निदेशक/for Airport Director

प्रतिलिपि:

सं.म.प्र.(वाणिज्य), (पू.क्षे.)

Copy to:

Jt.GM (Comml.), ER

आंतरिक प्रतिलिपि:

एपीडी/ सभी विभागाध्यक्ष

Internal Copy to:

APD/ All HoDs